राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक : F26(4)Mal Nutrition/ T&C/ICDS/09/ 59659-664 जयपुर दिनांक : 3.9.09

उपनिदेशक(बाल विकास),

समेकित बाल विकास सेवाएं,

महिला एवं बाल विकास विभाग

झालावाड़, अलवर, डूंगरपुर,

बांसवाड़ा, बीकानेर एवं पाली

विषयः- कुपोषण प्रबन्धन अभियान के द्वितीय चरण के संबंध में ।

जैसा कि आप जानते हैं कि आई.सी.डी.एस. को चलते हुए 33 वर्ष हो चुके हैं, किन्तु अभी भी राज्य में बच्चों का कुपोषण लगभग 40 प्रतिशत चल रहा है। यह विभाग के लिए एक चुनौति है, इसके लिए कई प्रयास किए जा रहे है, लेकिन अभी अपेक्षानुसार लक्ष्य प्राप्त नही हो रहे हैं।

अतः कुपोषण को समाप्त करने के लिए आपके जिलों में एक अभियान प्रारम्भ किया जाएगा, इसके बाद इसकी प्रक्रियाओं को स्थायी रखा जाएगा, जिसके अर्न्तगतः-

1. जन जागरण गतिविधियों के द्वारा समुदाय को वृद्धि निगरानी का महत्व बताया जायेगा।
2. 0 से 5 वर्ष तक के समस्त बच्चों का वजन लिया जायेगा।
3. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदण्डों के आधार पर वृद्धि निगरानी चार्ट भरे जाएंगे।
4. उसके आधार पर बच्चों को सामान्य, कुपोषित और अतिकुपोषित में विभक्त किया जाएगा।
5. पोषण स्थितिनुसार अभिभावकों को परामर्श दिया जाएगा।

अतिकुपोषित बच्चे दो प्रकार के होंगे। (1) रोग वाले अतिकुपोषित बच्चे (11) बिना रोग वाले अतिकुपोषित बच्चे। इस प्रकार इन्हें विभक्त किया जाएगा तथा रोग वाले अतिकुपोषित बच्चों को एम.टी.सी. / अस्पताल में भेजा जाएगा तथा बिना रोग वाले बच्चों को परिवार आधारित देखरेख की जाएगी। यह अभियान 15 सितम्बर से 15 नवम्बर, 2009 तक संचालित होगा। इसके लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला प्रमुख शासन सचिव महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता तथा सचिव महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में दिनांक 15.9.09 को कृषि अनुसंधान प्रशिक्षण केन्द्र, दुर्गापुरा, टोंक रोड़, जयपुर पर प्रातः 9.30 बजे आयोजित की जा रही है, जिसमें आप अपने समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों के साथ उपस्थित हों। अगर कहीं बाल विकास परियोजना अधिकारी नहीं है और उसका चार्ज किसी अन्य विभाग के अधिकारी के पास है तो भी उसे आवश्यक रूप से साथ लेकर आवें, किन्तु उनके साथ एक समझदार महिला पर्यवेक्षक भी साथ आ जाए।

इस कार्यशाला के बाद ब्लॉक पर प्रत्येक बाल विकास परियोजना अधिकारी अपनी-अपनी समस्त पर्यवेक्षकों को एक दिवसीय प्रशिक्षण देवें तथा यह समस्त पर्यवेक्षक अपने सेक्टर की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आशा-सहयोगिनियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण देंगी।

अतः कृपया आवश्यक रूप से अपने समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों के साथ दिनांक 15.9.09 को प्रातः 9.30 ए0एम0 पर कृषि अनुसंधान प्रशिक्षण केन्द्र, दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर में आवश्यक रूप से उपस्थित हों।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : F26(4)Mal Nutrition/ T&C/ICDS/08 59665-680 जयपुर दिनांक 3.9.09

प्रतिलिपि :- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं बैठक में भाग लेने हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मुख्यालय, जयपुर को सूचनार्थ।

बैठक में भाग लेने हेतु :-

3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय।
4. निदेशक, आरसीएचओ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (शिशु), समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय।
6. अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार), समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय।
7. मुख्य लेखाधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय।
8. उपनिदेशक (प्रशासन), समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय।
9. उपनिदेशक (प्रशिक्षण), समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय।
10. उपनिदेशक (वि.खा.का.), समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय।
11. सहायक निदेशक (प्रशिक्षण), समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय।
12. सहायक निदेशक (आई.ई.सी.), समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय।
13. सलाहकार (यूनिसेफ), समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय।
14. परामर्शद् (प्रशिक्षण एवं संचार), समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय।
15. सहायक निदेशक (मोनिटरिंग), समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि इन जिलों में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर नए ग्रोथ चार्ट भी लागू किए जाएंगे।

16 OIC कम्प्यूटर को वेब साईट पर देने हेतु

परामर्शद (प्रशिक्षण एवं संचार)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर